

फर्दअहकॉम




(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सेड़वा मुकाम सेड़वा

झूमरीदेवी बनाम सरपंच ग्राम पंचायत झड़पा वगैरा

किरम मुकदमा-राजस्व अपील

मुकदमा नम्बर-01 / 2026

| तारीख हुकम | हुकम कार्रवाई मय इनिशियल ज | नम्बर व तारीख अहकॉम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|---|--|
| 15.01.2026 | <p>अपीलांट के अधिवक्ता श्री महिपालदान चारण ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। उत्तरदातागण जरिए सम्मन/नोटिस तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 04.02.2026 को पेश हो।</p> | |
| 04/02/26 | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट उपस्थित। पत्रावली वास्ते उत्तरदातागण की तलबी हेतु आईन्दा दिनांक 05/02/2026 को पेश हो।</p> | <p> अ.नि. झूमरीदेवी</p> <p> (अपीलांट वकील)</p> |
| 05/02/26 | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट उपस्थित। अपीलांट वकील ने पत्रावली वास्ते राजस्व अपील विद्दो करने लायक पेश कर निवेदन किया कि उक्त अनवान के प्रकरण में अपीलांट व उत्तरदातागण के बीच में गांव के ग्रौजिन व्यक्तियों ने राजीनामा करा दिया है। यह राजीनामा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर किया है। अब हमारे बीच किसी प्रकार का तनाव नहीं है। अतः निवेदन है कि उक्त अनवान के राजस्व अपील को विद्दो करने का आदेश फरमावे। अतः अपीलांट वकील के पत्रावली पत्र को न्यायस्थ में स्वीकार किया जाता है। उक्त अनवान की पत्रावली को जरिए राजीनामा विद्दो किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमाए होकर दाखिल हफ्ता हो। संख्या से एक कम हो।</p> | <p>राजस्व अपील विद्दो करने</p> <p></p> |